(c) Yes, Sir.

(d) Placement of further order will depend upon additional requirement for the Programme.

Criteria for supply of Contraceptives

974. SHRI J. CHITHARANJAN: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether there are any criteria or guidelines on the basis of which the quantity of Condoms and Copper-T to be supplied by the various companies are fixed; and

(b) if so, the details of the criteria or the guidelines?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY): (a) and (b) The orders placed for supply of Condoms and Coppcr-T during the current financial year were generally on the basis of capacity with some preference to Public Sector Undertaking.

Ban on use of artificial Colour in Food

975. SHRIMATI ANANDIBEN JETHABHAI PATEL:
SHRI ANANTRAY DEV-SHANKER DAVE:

Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Governments attention has been drawn to the newsitem captioned "Ban on artificial colour in food sought" published in the Time of India dated 19th July, 1997;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether a demand has been made by D.A.V. Research Society for Health for complete ban on use of colour in food articles; and

(d) if so, the details of action taken in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY): (a) to (c) The press report deals with the suggestion of D.A.V. Research Society for Health Seeking ban on use of synthetic colour in food and has been noted.

(d) The Prevention of Food Adulteration Rules, 1955, permit only those synthetic colours which have been accepted as safe by FAO/WHO. Moreover use of these colours is permitted only in specified articles of food to a limited extent.

मध्य प्रदेश में बच्चों के स्वास्थ्य निरीक्षण का विशेष कार्यक्रम

976. **श्री दिलीप सिंह जूदेवः** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) मध्य प्रदेश में 9 सितम्बर, 1996 से 14 सितम्बर, 1996 तक राज्य स्तरीय प्राथमिक स्कूलों के बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत रोगग्रस्त पाए गए बच्चों का प्रतिशत क्या है,

(ख) कितने बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया तथा कितने बच्चों को जिला चिकित्सालायों और चिकित्सा महाविधालयों में चिकित्सा के लिए उपयुक्त पाया गया,

(ग) जिला-वार उन बच्चों की संख्या कितनी है जिन्हें गहन चिकित्सा उपचार के लिए जिला अस्पतालों और चिकित्सा महाविद्यालायों में भेजा गया, और

(घ) ऐसे चिकित्सा उपचार के उपशन्त स्वस्थ हो चुके बच्चों का जिला-वार ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी): (क) और (ख) राज्य द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार 9 सितम्बर से 14 सितम्बर 1996 तक मध्म प्रदेश में कार्यन्वित की गई, प्राथिमक स्कूलों के लिए विशेष स्कूल स्वास्थय जांच योजना के अन्तर्गत 69,38,147 बच्चों की जांच की गई थी । विशेष स्कूल स्वास्थ्य जांच योजना में सम्मिलित किए गए बच्चों में 41.3 प्रतिशत बच्चे रोग्रस्त पाये गए थे। इनमें से 58086. बच्चों को उपचार के लिए जिला अस्पतालों को भेजा गया।

(घ) जिला अस्पतालों को भेजे गए बच्चों का जिला-वार ब्यौरा विवरण में दिया गया है। (नीचे देखिए)

(ङ) राज्य सरकार से मिली सूचना के अनुसार तहसील/जिला को भेजे गए स्कूल के बच्चों को उपयुक्त उपचार मिला है।